कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार, चन्दौली।

पत्रांक 79 /आजीविका मिशन–छपाई/2016 दिनांकः मई 20,2016

नोटिस सूचना

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के अर्न्तगत (19"*31" size) का निम्न फार्म वर्तमान मे 1000 सेटो मे प्रिंट कराया जाना है। नमूना एंव छपाई किये जाने वाले विषय–बस्तु के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी तथा कोटेशन फार्म विकास भवन बिछियॉ चन्दौली स्थित एन0आर0एल0एम0 कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

सामान का नाम	फार्म की कोड संख्या	कुल पन्नो की संख्या
स्वंय सहायता समहो का क्रेडिट लिकेज हेतु आवेदन पत्र	सलग्नक–6 आगे	1 पन्ना पृष्ठ भाग
स्वंय सहायता समहो को वित्तीय समावेशन हेतु संस्था द्वारा निर्गत अनुरोध–पत्र	पीछे	पीछे पृष्ठ भाग पर
ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु बैंक को प्रस्तुत किये जाने वाला आवेदन–पत्र		1 पन्ना आगे–पीछे
समहो को वित्त प्रदान करते समय बैको द्वारा उपयोग किये जाने वाले करार की शर्तो का प्रपत्र		1 पन्ना आगे–पीछे
स्वंय सहायता समहो के सदस्यो द्वारा निष्पादित परस्पर करारनामा		2 पन्नो मे आगे–पीछे
स्वंय सहायता समहो को केडिट लिमिट देने हेतु अनुमोदन प्रस्ताव(बैक उपयोग हेतु)		1 पन्ना
स्वंय सहायता समह की नियमावली/आचार सहिंता		3 पन्नो मे आगे–पीछे
ए.स्वंय सहायता समह बैंक केडिट लिकेज आकलन प्रपत्र	सलग्नक–7	1 पन्ना पृष्ठ भाग
बी.परिपक्व स्वंय सहायता समह का बैंक केडिट लिकेज आकलन प्रपत्र	सलग्नक–7	पीछे पृष्ठ भाग पर

अतः उपरोक्त सन्दर्भ मे अनुभव प्राप्त प्रिटिंग प्रेस/आपूर्तिकर्ता फर्म से कोटेशन दर आंमत्रित किया जाता है। इच्छुक प्रेस/आपूर्तिकर्ता फर्म अपनी कोटेशन दर बन्द लिफाफें मे अधिकतम दिनांक 08.06.2016 तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के विकास भवन बिछियॉ स्थित कार्यालय मे अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। शर्ते निम्नवत है:–

1.प्रिटिंग प्रेस/आपूर्तिकर्ता फर्म का ब्रिकी कर विभाग मे पंजीकृत हो। अतः कोटेशन दाता बिक्री कर विभाग से निर्गत अपना टीन नम्बर/प्रमाण–पत्र सलग्न करे।

2.प्रत्येक फार्म के छपायी हेतु कोटेशन दरे समस्त करो सहित अलग–अलग दी जाये।

3.कागज का नमूना लगाना अनिवार्य है। कागज के नमूना रहित कोटशन पर कोई विचार नही किया जायेगा।

4. फार्म की मात्रा घट–बढ सकती है। अतः आवश्यकता अनुसार आपूर्ति ली जायेगी।

5.कोटेशन के फाईनल होने के पश्चात छपाई के पूर्व फार्म मे छापे जाने वाले मैटर का प्रूफ दिखाना होगा। प्रूफ के सत्यापन मे मैटर सही पाये जाने अथवा त्रुटि के संशोधन उपरान्त प्रूफ मैटर अनुसार छपाई करना होगा। फार्म के दोषपूर्ण/त्रृटिपूर्ण होने अथवा गुणवत्ता सही नही पाये जाने पर आपूर्ति नही ली जायेगी ऐसी स्थिति मे आपूर्ति आदेश रद्द माना जायेगा।

6.आपूर्ति आदेश से अधिकतम 3 दिन के अन्दर करना होगा। विलम्ब की स्थिति मे आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(योगेन्द्र कुमार पाठक)
उपायुक्त स्वतः रोजगार,
चन्दौली।

पत्रांक 79 /उक्त दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

1.मुख्य विकास अधिकारी ,महोद्य को अवलोकनार्थ।
2.जिला सूचना अधिकारी ,जनपद चन्दौली।/ जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी चन्दौली
3.समस्त खण्ड विकास अधिकारी,जनपद चन्दौली।
5 नाजिर कलेक्ट्रेट/विकास को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

उपायुक्त स्वतः रोजगार,
चन्दौली।

कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार, चन्दौली।

पत्रांक 80 /आजीविका मिशन–छपाई/2016 दिनांकः मई 30,2016

कार्यालय ज्ञाप/सूचना

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यकम के अर्न्तगत निम्न पुस्तिका एंव पासबुक प्रिंट कराया जाना है। पुस्तिका का नमूना एंव छपाई किये जाने वाले विषय–बस्तु के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी तथा कोटेशन फार्म विकास भवन बिछियॅा चन्दौली स्थित एन0आर0एल0एम0 कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

एस0एच0जी0 पुस्तिका का नाम	पुस्तिका में पन्नों की संख्या	प्रिंटिंग का प्रकार	पुस्तिका में पन्नों का प्रकार	पुस्तिका का माप (''=इंच)	बाइंडिंग का प्रकार
कार्यवाही पुस्तिका	150	दोनों तरफ	90GSM	8"*12.5"	हाई बाइंडिग
रोकड़ बही	150	एक तरफ	90GSM	16"*12.5"	हाई बाइंडिग
सामान्य खाता बही	75	दोनों तरफ	90GSM	8"*12.5"	हाई बाइंडिग
ऋण पुस्तिका	150	एक तरफ	90GSM	8"*12.5"	हाई बाइंडिग
बचत पुस्तिका	75	एक तरफ	90GSM	8"*12.5"	हाई बाइंडिग
बचत पासबुक	12	दोनों तरफ	90GSM	4"*6"	हाई बाइंडिग

अतः उपरोक्त सन्दर्भ मे अनुभव प्राप्त प्रिटिंग प्रेस/आपूर्तिकर्ता फर्म से कोटेशन दर आंमत्रित किया जाता है। इच्छुक फर्मे अपनी कोटेशन दर बन्द लिफाफें मे अधिकतम दिनांक 08.06.2016 तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यकम के विकास भवन बिछियॅा स्थित कार्यालय मे अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। शर्ते निम्नवत हैः–

1.प्रिटिंग प्रेस/आपूर्तिकर्ता फर्म का ब्रिकी कर विभाग मे पंजीकृत होना अनिवार्य है। अतः कोटेशन दाता फर्मे बिकी कर विभाग से निर्गत अपना टीन नम्बर/प्रमाण–पत्र सलंग्न करे।

2.प्रत्येक पुस्तिका के छपायी हेतु कोटेशन दरे समस्त करो सहित अलग–अलग दी जाये।

3.उपरोक्त दर्शाये गये विवरण अनुसार पुस्तिका में पन्नों का प्रकार, माप (''=इंच) मे तथा हाई बाइंडिग क्वालिटी की पुस्तिका छपवायी जायेगी।

4.कागज का नमूना लगाना अनिवार्य है। कागज के नमूना रहित कोटशन पर कोई विचार नही किया जायेगा।

5.आवश्यकता अनुसार ही पुस्तिका छपवाई जायेगी।

6.कोटेशन के फाईनल होने के पश्चात छपाई के पूर्व पुस्तिका मे छापे जाने वाले मैटर का प्रूफ दिखाना अनिवार्य है। प्रूफ मे मैटर सही पाये जाने व सत्यापन मे त्रुटि के संशोधन उपरान्त प्रूफ मैटर अनुसार छपाई करना होगा। सामान की गुणवत्ता सही नही पाये जाने पर आपूर्ति नही ली जायेगी ऐसी स्थिति मे आपूर्ति आदेश रद्द माना जायेगा।

8सामानो की .आपूर्ति आदेश से अधिकतम 10 दिन के अन्दर करना अनिवार्य है। विलम्ब की स्थिति मे आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(योगेन्द्र कुमार पाठक)
उपायुक्त स्वतः रोजगार,
चन्दौली।

पत्रांक 80 /उक्त दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

1.मुख्य विकास अधिकारी ,महोद्य को अवलोकनार्थ।
2.जिला सूचना अधिकारी ,जनपद चन्दौली।
3.समस्त खण्ड विकास अधिकारी,जनपद चन्दौली।
4.समस्त,सहायक विकास अधिकारी ,आई0एस0बी0जनपद, चन्दौली।
5 नाजिर कलेक्ट्रेट/विकास को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6–जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी चन्दौली को जनपद की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।

उपायुक्त स्वतः रोजगार,
चन्दौली।